गतांक की चीर-फ़ाड़

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं बड़े से बड़ा घोटाला

मज़दूर मोर्चा के 24-30 जून 2018 के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित कर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। भीषण गर्मी में लोग पानी के संकट से बेहाल हो रहे हैं और वे आये दिन प्रशासन के विरुद्ध धरने, घेराव व प्रदर्शन कर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। परंतु इस संकट से कोई राहत नज़र नहीं आ रही जिसका 'शहर में पानी युद्ध, शासकों प्रशासकों का हमला; मकसद आज भी है लूटना', तथा 'अरावली की पहाड़ियां एक अच्छा जल स्रोत हो सकती है' में उचित विवेचन किया गया है।

रैनीवैल परियोजना के तहत हज़ारों करोड़ों रुपये खर्च करके लगाये गये ट्यूबवैल बेकार साबित हो रहे हैं जिनमें पानी की जगह रेत निकलनी शुरू हो गयी है। अरावली की पहाड़ियों के जल स्रोतों का भी संरक्षण नहीं किया जा रहा है। शहर में बूस्टरों पर पानी माफ़िया का कब्ज़ा है जो नगर निगम का पानी चुराकर टैंकरों के ज़रिये खुलेआम बेच रहे हैं और अफ़सरों की लापरवाही व मिलीभगत से लोगों को लूट रहे हैं। पानी लोग़ों की अहम् आवश्यकता है। यदि इसका हल नहीं निकाला गया तो जन आक्रोष एक भयानक रूप धारण कर सकता है।

डीएसके ग्रुप कंपनी के रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट को 100 करोड़ रुपये के कर्ज़ की गैरकानूनी मंजूरी देने के कारण बैंक ऑफ़ महाराष्ट्रा (सरकारी बैंक) के मैनेजिंग डायरेक्टर व सीईओ रविन्द्र मराठे व उसके सहयोगियों को गिरफ़्तार करने और इससे भी बड़े गैर-कानूनी मामले में विदेशी बैंक आई सी आई सीआई बैंक की सीईओ चन्दा कोचर की गिरफ़्तारी न कर छुट्टी पर भेजने को 'चंदा कोचर पर हाथ डालने की औकात नहीं' के ज़रिये सरकार की दोहरी नीति का पर्दाफ़ाश किया गया है। उल्लेखनीय है कि मैकरी रिसर्च फर्म की रिपोर्ट के अनुसार आई सी आई सी आई बैंक के विदेशी निवेशक चाहते हैं कि सीईओ चन्द्रा कोचर को हटाया जाय और बोर्ड का पूर्णत: पुनर्गठन किया जाये।

धोखाधड़ी और मुनाफ़े का लालच देकर सैकड़ों निवेशकों के पैसा हड़पने के आरोप में एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन अनिल जिंदल व उसके सहयोगियों की गिरफ़्तारी के बाद पीयूष ग्रुप में भी करोड़ों रुपयों का घोटाला सामने आने पर इस ग्रुप के दो निदेशकों-अमित गोयल व पुनीत गोयल को गिरफ़्तार किया गया है, जिसे 'पीयूष ग्रुप का घोटाला भी बाहर आया' में उज़ागर किया गया है। गौरतलब है कि अपने घर में रहने का सपना संजोये आम आदमी को बिल्डरों की ठगी, हेराफ़ेरी और मनमानी से राहत देने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये रीयल एस्टेट एक्ट 2016 में हरियाणा सरकार ने संशोधन करके हरेरा लागू कर दिया, तब भी आम आदमी की आशायें धूमिल ही रह गई हैं।

'नोटबंदी ही सबसे बड़ा घोटाला था जो हमारी आंखों के सामने हुआ और हम उसे समझ ही नहीं पाये' में सूचना का अधिकार (आरटीआई) के अंतर्गत प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा करने के एक सप्ताह के भीतर ही कई हज़ार करोड़ रुपये मूल्य के प्रतिबंधित नोट बैंकों में जमा कराने का असली खेल गुजरात के सहकारी बैंकों में खेला गया जहां मोदी समर्थक नेता अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जैसे पदों पर आसीन थे। उदाहरणस्वरूप अमरेली ज़िला मध्यस्थ सहकारी बैंक लिमिटेड के चेयरमैन गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री दिलीप भाई संघानी तथा अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट को कॉआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष स्वयं अमित शाह थे। इससे स्पष्ट है कि नोटबंदी एक बहुत बड़ा घेटाला था जिसकी किसी विश्वसनीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच करवाने की आवश्यकता है।

'भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम खुला पत्र-महामहिम प्रणव मुखर्जी आपने हेडगेवार को मातृभूमि का महान सपूत बताकर भारत माता का घोर अपमान किया है' के ज़रिये आरएसएस अभिलेखागार से प्राप्त तथ्यों पर आधारित आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार व आरएसएस की विचारधारा का सटीक विश्लेषण किया गया है। साफ़ जाहिर होता है कि हेडगेवार तिरंगे झंडे की बजाय भगवा झंडे को आदर व अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस के कार्यकर्ताओं को शामिल न होने की सलाह देते थे और वे हिन्दू-मुस्लिम एकता के विरोधी तथा जातिवादी व छूआछूत के समर्थक थे। लेखक का निष्कर्ष सर्वथा उचित है कि प्रणव मुखर्जी ने हेडगेवार को भारत माता का महान सपूत बताकर अनुचित कार्य किया है तथा आरएसएस के मन्तव्य को पूरा किया है।

तीस वर्ष पूर्व कांग्रेस सरकार ने मंझावली यमुना पुल का शिलान्यास किया था और चार वर्ष पहले केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इसी पुल का दुबारा शिलान्यास कराया था लेकिन इस पुल के निर्माण की स्थिति वैसी की वैसी है। अब 2019 में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कृष्णपाल ने मंझावली पुल सम्बन्धित नाटक पुन: शुरू कर दिये हैं जिसको 'जो कहा-वो किया-मंत्री कृष्ण पाल गूजर का नया सड़क छाप जुमला-क्या कहा क्या किया-तीस साल से मंझावली पुल की बाट देख रहे फ़रीदाबाद निवासी' में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। कृष्णपाल का दावा कि मंझावली पुल दिसम्बर 2018 तक बनकर तैयार हो जायेगा, एक कोरा छलावा है जो जनता को भ्रमित करने वाला शिगूफ़ा है, क्योंकि मानसून में वर्षा का पानी नदी में आ जायेगा जिससे जब तक वहां पानी रहेगा पुल का निर्माण कार्य बाधित रहेगा।

और इस बार वे शोमा को ले गये

तुषार कांति

जनज्वार विशेष। 1985 के बरसात का मौसम था। बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के दफ्तर में जाकर पता चला कि उसी शाम वाईएमसीए हॉल में लोकशाही हक संरक्षण समिति ने जनवादी अधिकार के सवाल पर एक सभा का आयोजन किया है। वहाँ मुख्य वक्ता के तौर पर प्रख्यात कानूनविद राम जेठमलानी बोलेंगे। नागपुर और विदर्भ जैसे पिछे इलाके से पत्रकारी करने वाले मुझ जैसे उभरते कलमनवीस को जेठमलानी जैसी नामी हस्ती को सुनने की हसरत अनायास ही हुई। हॉल खचाखच भरा था।

पहले वक्ता के तौर पर बम्बई (अब मुंबई) लोकशाही हक संरक्षण समिति की ओर से 24-25 बरस की एक युवती ने निर्दोष अंग्रेजी में जनवादी अधिकार हनन पर एक अनूठा भाषण दिया। इसके बाद राम जेठमलानी बोले। वहाँ लगभग कोई भी मुझे नहीं जनता था, इसलिए मैं लौट आया। वह युवती शोमा ही थी।

करीब दो साल बाद नागपुर में मेरे मित्रों से पता चला कि शोमा नागपुर ही में अध्यापन का काम ढूंढ़ रही है। नागपुर में भी शोमा ने सबसे पिछड़े और दलित लोगों के एकमात्र शिक्षा संस्थान पीपल्स वेल्फेयर सोसाइटी इंदोरा स्थित कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में पढ़ाने का काम चुना। इस बीच हमारे बीच प्यार पनपा और 1991 में हमारा विवाह हुआ। वैसे उसे इससे पहले समृद्ध इलाके के लेडी अमृत बाई डागा कॉलेज में नौकरी मिली थी, पर उसने दलित विद्यार्थियों को पढ़ाने का विकल्प चुना।

करीब तीन दशक तक पिछड़े मराठी माध्यम के विद्यार्थियों में अँग्रेजी साहित्य पढ़ाते हुए कई पीढ़ियों को आत्मविश्वास के साथ जीना सिखाने के बाद पिछले आठ वर्षों से शोमा 'राष्ट्रसंत तुकबोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय' के अंग्रेजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के तौर पर काम करते हुए 2004 में 'साहित्य के प्रति उदरवादी स्त्रीवाद की टीका' विषय पर अँग्रेजी साहित्य में डॉक्टरल शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया।

प्रोफेसर पद के अतिरिक्त उपकुलपति के प्रतिनिधि की अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाते हुए विश्वविद्यालय से संलग्न विदर्भ के कोने कोने तक फैले 800 से भी अधिक कॉलेजों में अँग्रेजी विभाग में नियुक्तियों और पदन्नतियों की प्रशासनिक जिम्मेदारी भी निभाई। 2017 से वह अँग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष नियुक्त हुई।

एक अकेडमिशियन के तौर पर तमाम उपलब्धियों के बावजूद शोमा हृदय से मानवाधिकार और जनवादी अधिकारों के देशव्यापी आंदोलन से कभी अलग नहीं हुई। साथ ही वामपंथी स्त्रीवाद की जुझारू कार्यकर्ता भी रही। नागपुर के इंदोरा और जूनी मंगलवारी जैसे बेहद पिछड़े इलाकों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले हर जुल्म का मुकाबला करने को वह महिलाओं को संगठित और प्रेरित करती रही। इसी सिलसिले में नागपुर में "स्त्री चेतना" नामक संगठन ने शोमा के इर्द गिर्द आकार लिया।

डॉक्टर द्वारा निजी नर्सिंग होम में दो नाइट ड्यूटी नर्सों के साथ बलात्कार की घटना हो या दहेज के लिए प्रताड़ित संभ्रांत स्त्रियों के मामले हों, शोमा हर जगह उपस्थित रहती और पीड़ितों को लड़ने की प्रेरणा देती।

भंडारा (गोंडिया) जिले के मंगेझरी गाँव से चौदह आदिवासियों को जब नक्सल विरोधी कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने "लापता" कर दिया तो उन परिवारों की रोती-बिलखती महिला सदस्यों को सहारा देते हुए शोमा ने अपने छोटे से किराए के फ्लैट में आश्रय तो दिया ही, खुद खाना पकाकर उन्हें खिलाया और नागपुर हाइकोर्ट के नामी वकील की सहायता से उनका पक्ष भी न्यायालय के समक्ष रखा।

गढ़चिरोली जिले के दूर-दराज के गाँव से सैकड़ों निर्दोष आदिवासियों को नक्सली होने के आरोप में उनके गाँव और जिले से तीन सौ किलोमीटर से भी ज्यादा दूर नागपुर के केंद्रीय कारगार में रखा जाता था। गाँव में उनके परिजन, जाहिर है कि इतनी दूर मुलाकात के लिए नहीं आ पाते।

एस्कॉर्ट पुलिस की कमी के बहाने उन्हें महीनों और बरसों तक कोर्ट मे पेश भी नहीं किया जाता। इन राजबंदियों को भी अपनी संस्कृति और अपने पर्यावरण से उखाड़ कर नागपुर कारागार में रखने से जो मानसिक पीड़ा वे झेल रहे थे, वह अमानवीय था। इसके मद्देनजर शोमा ने नागपुर स्थित बम्बई उच्च न्यायालय की खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर कर ऐसे तमाम आदिवासी कैदियों को उन्हीं के जिले में रखने की मांग की जो मंजूर भी कर ली गयी।

इन्हीं सक्रियताओं के चलते शोमा राज्य के आला पुलिस अधिकारियों के नजरों में शूल की तरह चुभती रही।

और फिर 6 जून 2018 की अलसुबह छह बजे एक विशाल पुलिस दल ने हमारे घर पर छापा मारा और इस बार वे शोमा को ले गए। बहाना भीमा-कोरेगाव में दलित सम्मेलन पर भगवा झण्डा धारी गुंडों के हमले ही जांच का था। पर उन हमलावारों पर तो कार्रवाई नहीं हुई और इस सम्मेलन से केवल नैतिक जुड़ाव रखने के जुर्म में उच्च रक्तचाप और गठिया जैसी असाध्य बीमारियों की शिकार उनसठ वर्षीय शोमा को पुणे पुलिस ने अन्य चार बुद्धिजीवियों के साथ गिरफ्तार कर लिया।

कोर्ट में प्रथम सूचना रपट या अन्य किसी भी दस्तावेज में जिसका उल्लेख भी नहीं किया गया, वह तथाकथित 'पत्र' सीधे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता संबित पात्र के हाथों से हो कर गोदी मीडिया में खूब उछाला गया। उस पत्र में कथित तौर पर राजीव गांधी स्टाइल में विस्फोट करने की योजना का उल्लेख था।

इस पत्र पर जब जोरदार जगहँसाई हुई तब अगली कहानी यह कही गई कि 'जेएनयू' में पूर्व छात्र नवीन कि स्मृति व्याख्यान माला चलाने की योजना बनाकर ये कथित "शहरी माओवादी" विद्यार्थियों की भर्ती करने के प्रयास में थे।

ऐसे हास्यास्पद और काल्पनिक आरोपों के बावजूद शोमा तथा अन्य चार बुद्धिजीवियों को चौदह दिनों तक पुलिस हिरासत में रखकर प्रताड़ित किया गया। अदालत भी इसके लिए राजी हो गई, क्योंकि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अलावा जनविरोधी 'गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून' (APA) की पाँच कठोर धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी की है।

शोमा आजीवन जनवादी और मानवाधिकार आंदोलन तथा स्त्री मुक्ति आंदोलन में सक्रिय रही। पहले "केवोव" और फिर "डबल्यूएसएस" जैसे अखिल भारतीय आंदोलनों में अग्रिम पंक्ति में रही। सुधीर ढवले (एल्गार परिषद के आयोजक और प्रख्यात प्रगतिशील दलित नेता, मुंबई), सुरेन्द्र गडलिंग (25 वर्षों से मजलूम निर्दोष आदिवासियों और दलितों को कानूनी सहायता पहुंचाते रहे नागपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता), महेश राऊत (प्रधानमंत्री फेलोशिप के अंतर्गत कुछ वर्ष पूर्व तक गढ़चिरोली जिले में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता जो अब सूरजागढ़ लोह अयस्क खदानों के विरोध में उठ खड़े हुए आदिवासी आंदोलन के नेता हैं)।

दिल्ली के प्राध्यापक और शोध छात्र रोना विल्सन (राजबंदियों की रिहाई समिति के मीडिया सचिव) की भीमा कोरेगाव हिंसा के बहाने की गयी गिरफ्तारी केवल सत्ताधारी वर्ग कि घबराहट और पाँव तले से खिसकती जमीन के अहसास से उपजी है।

ये सभी सामाजिक सरोकार रखने वाले समर्पित कार्यकर्ता हैं जो सरकारी झूठ का पर्दाफ़ाश करते हुए अपनी बेगुनाही जरूर साबित करेंगे।

(स्वतंत्र पत्रकार तुषार कांति शोमा सेन के पति हैं)

उत्तराखंड का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या बला है जो अध्यापिका को निलंबित कर हिरासत में लेने के आदेश दिए

उत्तरकाशी जिले के नौगांव प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत उत्तरा बहुगुणा पन्त मुख्यमंत्री के जनता दरबार मे पहुंची। उसने कहा कि वह 25 साल से दुर्गम क्षेत्र में सेवाएं दे रही है। उसके पति की मौत हो गई है और उसकी स्थिति ऐसी है कि न वह छोटे बच्चों को अनाथ छोड़ सकती है न नौकरी छोड़ सकती है।

मुख्यमंत्री ने पूछा कि नौकरी लेते वक्त क्या लिखकर दिया था ? अध्यापिका ने गुस्से में बोल दिया कि जिंदगी भर बनवास में रहेंगे, ये लिखकर तो नहीं दिया था।

इस पर मुख्यमंत्री ने 'दरबार' में बैठे राजा की तरह महिला को सस्पेंड कर उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया .....

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5**
2. **प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड**
3. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन**
4. **5 ई-18 नरेन्द्र बुक सेन्टर - 9810229192**
5. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे**
6. **राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने**
7. **हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास**
8. **जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207**
9. **सिंगला मेडिकल स्टोर, जवाहर कॉलोनी, डिस्पोजल चौक**
10. **आरसीएम स्टोर, बाबा बालकनाथ मंदिर वाली गली, जवाहर कालोनी, फ़रीदाबाद**